संख्या:-72/2021/174आ0/23-5-21-09(भवन)/2018टीसी-1

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 22 जुलाई, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-21-00-24 "निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण"(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद बरेली में स्थित सर्किट हाउस कम्पाउण्ड में मीटिंग हाल तथा 08 नग अति विशिष्ट अतिथियों हेतु भवन के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-140बीजीबी/109बीजीबी/निरी0भवनों/सर्किट हा0 का जीर्णोद्धार/निर्माण/2021-22, दिनांक 30.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	71/2018/173आ0/23-5-18-9(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 17.10.2018 एवं 43/2019/126आ0/23-5-19-9(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 13.08.2019 एवं 73/2020/380आ0/23-5-20-9(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 20.11.2020	जनपद बरेली में स्थित सर्किट हाउस कम्पाउण्ड में मीटिंग हाल तथा 08 नग अति विशिष्ट अतिथियों हेतु भवन का निर्माण कार्य।	447.72	274.36	173.36	50.00
		योग :-				**50.00**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-21-निरीक्षण भवन/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-72/2021/174आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त बरेली।
4- जिलाधिकारी बरेली।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लो0नि0वि0, बरेली।
12- अधीक्षण अभियन्ता, बरेली वृत्त, लो0नि0वि0, बरेली।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लो0नि0वि0, बरेली।
14- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।